

[Shri Shantilal Shah]

567 which has been brought in by about 50 Members of the House. The amendment briefly says that if the total tax payable as income-tax and wealth-tax exceeds 100 per cent of the income then the amount in excess of the 100 per cent should not be recovered and there will be a limit of 100 per cent between the two. In a socialist pattern of life, there is nothing objectionable in it. In that case, if it is more than 100 per cent, he would have paid something from his own assets or capital. Even as it is, when you take 100 per cent, he and his family will have to be maintained out of his capital. But what is very interesting and intriguing is that I find that 14 members of the ruling party are in support of this amendment. Among them is the Secretary of the Party.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may continue his speech on Monday. Now, private members' business.

16.01 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SIXTY-SECOND REPORT

* SHRI TRIDIB KUMAR CHAUDHURY (Berhampore) : The question is :

"That this House do agree with the Sixty-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 29th April 1970."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That this House do agree with the Sixty-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 29th April, 1970."

The motion was adopted.

RESOLUTION RE: RIGHT TO PROPERTY-Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now resume consideration of the resolution moved by Shri Ramamurti on Right to Property. Shri Madhu Limaye is to continue his speech, but he is absent. Mr. Randhir Singh.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर महोदय, राममूर्ति जी का जो प्रस्ताव है, इस बात पर तो मुझे उनसे कोई मुखालिफत नहीं कि इस पार्लमेंट का फंडामेंटल राइट चेंज करने का हक है लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स के होते हुए, राइट आफ प्रापर्टी को हम वापिस ले लें, इसकी मैं सख्त मुखालिफत करता हूँ और मैं इसकी बजह भी बताता हूँ। हम इस बात के तो हक में हैं कि जो फर्क है छोटे और बड़े का, जो जायदाद में नाबराबरी है और जो इतना फर्क है आमदनी में उसको जाना चाहिये। एक सीलिंग मुकर्रर कर दी जाये कि किसान के पास 30 स्टैंडर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होगी या 25 एकड़, वीस एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होगी। सारे देश के लिए एक सीलिंग मुकर्रर कर दी जाये। इस बात की भी सीलिंग मुकर्रर कर दी जाये कि अन्न प्राप्रटी में दो लाख या तीस लाख से ज्यादा प्राप्रटी किसी की नहीं होगी और जो उससे ज्यादा हो उसको हुकूमत अगर लेना चाहे तो ले ले। फंडामेंटल राइट्स के जरिये भी अगर आप इस चीज को लागू करें तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है। आप इन्कम्स पर एक हद मुकर्रर करें एक सीलिंग लगायें कि ढाई या तीन हजार से ज्यादा महीने में कोई नहीं कमा सकेगा तो उस पर भी मुझे कोई एतराज नहीं है। इसी तरह से एक्सपेंडीचर पर सीलिंग हो उस पर भी मुझे कोई एतराज नहीं है उसको भी आप लगा लीजिये। लेकिन मुझे इस बात पर जरूर एतराज है कि सीलिंग के बीच में जो किसी की जायदाद हो उसको आप छीन लें चाहे वह किसान की जमीन है बोनो वाली या शहर में किसी की कोठी है या किसी दूकानदार की दूकान है,